(13

पत्रांक- 3एम-2-5-भत्ता-12/99 (खण्ड-8) [illegible] पटना/ दिनांक 20.6.2001

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0-I), बिहार एवं झारखंड, पो0- हीनू, राँची ।

महालेखाकार (ले0 एवं ह0-II), बिहार एवं झारखंड, बीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

3.7.01

विषय :- राज्य कर्मियों को केन्द्र के अनुरूप रियायती अवकाश यात्रा (एल.टी.सी.) की दी गयी सुविधा का अगले दो वर्षों के लिए स्थगन के संबंध में ।

महोदय,

GIF

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-4252 दिनांक-22.6.2000 द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक-1.1.2000 के प्रभाव से संशोधित रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी थी ।

2. केन्द्र सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं.-31011/3/2001 ऐस्ट(ए) दिनांक-2.3.2001 द्वारा रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा को 2.3.2001 के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए स्थगित करने का निर्णय संसूचित किया है ।

3. केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में राज्यकर्मियों को देय रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है :-

(i) दिनांक-1.4.2001 के प्रभाव से अगले 2 वर्षों के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-4252 दिनांक-22.6.2000 के अधीन देय रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा स्थगित रहेगी । परन्तु, जिन कर्मियों की सेवा निवृत्ति दिनांक- 1.4.2003 के पूर्व होने वाली है, उन्हें यह सुविधा अनुमान्य होगी यदि वर्त्तमान ब्लॉक वर्ष की सुविधा का उन्होंने उपभोग नहीं किया हो ।

(ii) जिन कर्मियों को रियायती अवकाश यात्रा अग्रिम की स्वीकृति हो चुकी है, किन्तु उनके द्वारा इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व यात्रा नहीं की गयी है, तो उनके द्वारा निकासी की गई अग्रिम राशि की तुरत वापसी की जायगी । इसके लिए उन्हें कोई दंडात्मक सूद की राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी ।

(iii) जो कर्मी रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा की स्वीकृति होने के उपरान्त यात्रा में अभी नही गये हैं परन्तु इस यात्रा के लिए टिकट इत्यादि खरीद लिया हो तो वे तुरत इसकी वापसी करेंगे । टिकटों की वापसी चार्ज के बतौर कटौती की गई राशि की प्रतिपूर्त्ति उन्हें संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा की जायेगी ।

(iv) जो कर्मी राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्णयों के निर्गत होने की तिथि के पूर्व ही यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वे रियायती अवकाश यात्रा के लागू नियमों और प्रावधानों के अधीन अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे ।

4. उपर्युक्त निर्णय राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अशंतः अनुदानित/नियंत्रित सभी स्वशासी/वैधिक संस्थाओं पर लागू होंगे । उपर्युक्त आदेश राज्य सरकार के अधीन पदस्थापित/कार्यरत/राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों पर भी लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

20/6/2001

(रामेश्वर सिंह)
अपर वित्त आयुक्त(संसाधन)

ज्ञापांक- [illegible] /वि0(2)/पटना, **दिनांक-** [illegible]

प्रतिलिपि - सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित ।

20/6/2001

(रामेश्वर सिंह)
अपर वित्त आयुक्त(संसाधन)

ज्ञापांक- [illegible] /वि0(2)/पटना, **दिनांक-** [illegible]

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2) अनुरोध है कि गजट की 500 अतिरिक्त प्रतियाँ वित्त शाखा 3ए को भेजी जाय ।

20/6/2001

(रामेश्वर सिंह)
अपर वित्त आयुक्त(संसाधन)